सं.: 1558ए/9-7-86 एन.आर.वाई./91

प्रेषक,

श्री पी.एल.पुनिया,
सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

(1) जिलाधिकारी,
लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/आगरा/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/बरेली/फैजाबाद/फतेहपुर/फर्रूखाबाद/बलिया/अलीगढ़/मुरादाबाद/मिर्जापुर/शाहजहाँपुर/रायबरेली/मथुरा/गाजियाबाद/हरदोई/गोण्डा।

(2) समस्त मुख्य नगर अधिकारी,
नगर महापालिका,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 1991

नगर विकास अनुभाग–७

विषय : केन्द्र द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित अर्बन बेसिक सर्विसेज फारदि पूवर्स (यू.बी.एस.पी.) योजना को कार्यान्वित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित अर्बन बेसिक सर्विसेज फार दि पुवर योजना आपके जनपद/नगर महापालिका में चलाये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। शासन के पत्र संख्या–872ए/9-7-91-1 बैठक/90, दिनांक 30-5-91-87ए/9-7-91, 1 बैठक/90 दिनांक 30-5-91, 897ए/9-7-86 एन.आर.वाई./91 दिनांक 6 जून, 1991, 87/ए(3) 9.7.86 एन.आर.वाई./91 तथा 871उ(4)/9-7-86एन.आर.वाई./91 दिनांक जुलाई, 31,1991 दिनांक 9 जुलाई, 1991/पत्र सं. 871ए (5)/9-7-86 एन.आर.वाई./91 दिनांक 4-10-91 में यह अपेक्षा की गयी थी कि उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु चयन की गयी मलिन बस्तियों का चयन, उन मलिन बस्तियों में समीपवर्ती समितियों का गठन करके पंजीकरण कराकर योजना को कार्यान्वित किये जाने हेतु एक कार्य, योजना तैयार करने एवं योजना के कार्यान्वयन से स्वयं सेवी संस्थाओं को सम्बन्धित करने के उद्देश्य से जनपद की विश्वसनीय स्वयं सेवी संस्था का चयन करने आदि के बारे में कार्यवाही करके शासन को अवगत कराया जाय।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यवाही योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किये जाने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। भारत सरकार

के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्र स्तर पर आवश्यक कर्मचारियों एवं अधिकारियों की व्यवस्था की जानी, परन्तु कतिपय अपरिहार्य कारणों से स्टाफ उपलब्ध करा पाना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। नगरीय क्षेत्रों की मलिन बस्तियों के बारे में मूलभूत आंकड़े स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग इस योजना को कार्यान्वित किये जाने का आधार तैयार करने में किया जा सकता है। स्थानीय निकायों के वर्तमान स्टाफ में सर्वेक्षण एवं मिनी प्लान तैयार कराने का कार्य कराया जाय ताकि योजना की प्रगति अवरुद्ध न करें।

3. योजना हेतु चयनित किये गये जनपदों/महापालिकाओं को 185.40 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। कृपया दिशा निर्देश के अनुरूप आवंटित धनराशि व्यय करने के प्रस्ताव राज्य नागर विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी.एन. पुनिया
सचिव

सं. 1558ए(1) 9-7-86 एन.आर.वाई./91 तद्दिनांक--

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(पी.एल. पुनिया)
सचिव।